संख्या-118/2017/2161/22-2-2016-17(411)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनः दिनांक 27 फरवरी, 2017**

विषयः- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन पुत्र राम कलप, निवासी जनपद-फैजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम सजीवन पुत्र राम कलप, निवासी ग्राम-वृन्दावन मौजा लक्ष्मनपुर ग्रान्ट, थाना-कोतवाली-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। दिनांक 16.09.2001 को बन्दी ने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी/वादी त्रिजुगी नारायण के पुत्र आत्माराम सहित कुल 06 व्यक्तियों की गड़ासे, बांका से काट कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 में मा0 षष्टम अपर सेशन्स न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22-08-2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 22.01.2016 को बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भूमि विवाद में पुरानी रंजिश के कारण 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर त्रिजुगी नारायण के पुत्र आत्माराम सहित कुल 06 व्यक्तियों की गड़ासे, बांका से काट कर निर्दयतापूर्वक निर्मम हत्या करने का जघन्यतम् अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन पुत्र राम कलप, निवासी जनपद-फैजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम सजीवन (बन्दी संख्या-347/2008) पुत्र श्री राम कलप, निवासी जनपद-बदायूं के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-118/2017/2161(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फैजाबाद।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-118/2017/2161@22-2-2016-17(411)/2016

दिनांक 27 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी राम सजीवन पुत्र राम कलप, निवासी ग्राम-वृन्दावन मौजा लक्षमनपुर ग्रान्ट, थाना-कोतवाली-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। दिनांक 16.09.2001 को बन्दी ने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी/वादी त्रिजुगी नारायण के पुत्र आत्माराम सहित कुल 06 व्यक्तियों की गड़ासे, बांका से काट कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 में मा0 षष्टम अपर सेशन्स न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22-08-2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 22.01.2016 को बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भूमि विवाद में पुरानी रंजिश के कारण 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर त्रिजुगी नारायण के पुत्र आत्माराम सहित कुल 06 व्यक्तियों की गड़ासे, बांका से काट कर निर्दयतापूर्वक निर्मम हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन पुत्र राम कलप, निवासी जनपद-फैजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।